संकट बढ़ाने वाली देरी

सूखा राहत में सुधार की जरूरत जता रहे हैं भारत डोगरा

चार जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार व सूखे से प्रभावित आठ राज्यों की सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित लोगों को पर्याप्त पोषण व मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाने संबंधी अपनी कार्रवाई की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएं। यह निर्देश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों को दिए गए हैं। उम्मीद है कि इन निर्देशों से राज्य सरकारों पर दबाव पड़ेगा कि वे सूखा-प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के अपने प्रयासों को व्यापक करें। यह आदेश स्वराज अभियान की याचिका पर दिए गए, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों ने खाद्य सुरक्षा कानून को क्रियान्वित करने में लापरवाही बरती है, जिसके कारण सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का दुख-दर्द बहुत बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त लोगों की कठिनाइयां कम करने वाले अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं हुआ है।

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए 1304 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2057 करोड़ रुपये की सहायता की मांग केंद्र सरकार से की थी जिसमें से 1427 करोड़ की सहायता खेती की इनपुट पर सब्सिडी के रूप में मांगी गई थी। इस बारे में सवाल उठे हैं कि क्या सहायता राशि का इतना बड़ा हिस्सा इस रूप में उपयोग होना चाहिए। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जब पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4000 करोड़ रुपये की राशि सूखा राहत के लिए मांगी थी तो इस वर्ष सूखे की समस्या पहले से कहीं अधिक गंभीर होने के बावजूद 2057 करोड़ रुपये की राशि की ही मांग क्यों की गई। आठ जनवरी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक सात राज्यों के लिए सूखा राहत सहायता राशि केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है। इसके तहत महाराष्ट्र को 3050 करोड़, मध्य प्रदेश को 2033 करोड़, कर्नाटक को 1544 करोड़, छत्तीसगढ़ को 1275 करोड़, उत्तर प्रदेश को 1304 करोड़, ओड़िशा को 815 करोड़ रुपये व आंध्र प्रदेश को 434 करोड़ रुपये मिलने हैं। इस तरह सात राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार ने 10451 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की कठिनाइयां इस कारण और बढ़ गई हैं कि पोषण व स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में केंद्र सरकार के बजट में बहुत कटौतियां की गई थीं और अधिकांश राज्य सरकारों का बजट इन मुद्दों पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ सका। अतः जिस समय पोषण कार्यक्रमों में बहुत वृद्धि की जरूरत थी उस समय उनमें कमी देखी गई। मनरेगा को राजग सरकार के आरंभिक दौर में बहुत उपेक्षित किया गया, जिसके कारण उचित समय पर सूखा-प्रभावित लोगों को गांव में या गांव के पास रोजगार नहीं मिल सका। इस कारण बहुत से गांववासियों को प्रवासी मजदूर के रूप में दूर-दूर भटकने को मजबूर होना पड़ा। अनेक गांवों में यह भी देखा गया कि बहुत समय पहले मनरेगा पर जो कार्य गांववासियों ने किया उसका भुगतान महीनों तक नहीं हुआ। इस कारण अनेक लोगों का मनरेगा पर विश्वास कम होने लगा, क्योंकि गंभीर सूखे के समय में तो लोगों को तुरंत मजदूरी की जरूरत होती है।

> सूखाग्रस्त राज्यों की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया है कि शीघ्र ही सूखा-राहत, रोजगार व पोषण कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए

देर से ही सही, केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के महत्व को समझा है और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बजट प्रावधान के 34699 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शीघ्र ही 5000 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए जारी करने की मांग की। हाल के समय में मनरेगा का क्रियान्वयन जरूरी बजट के अभाव में ठीक से नहीं हो सका है। 12 राज्यों में इस समय मनरेगा का बजट समाप्त हो चुका है। सूखाग्रस्त राज्यों की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह बहुत जरूरी हो गया है कि शीघ्र ही सूखा-राहत, रोजगार व पोषण कार्यक्रमों को बढ़ाया जाए और इनमें जरूरी सुधार किए जाएं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)